राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रुपनगढ (अजमेर)

राजस्व वाद पत्र संख्या– 14/2021

दायर दिनांक 25.03.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. जीवणराम पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी रुपनगढ, तह. रुपनगढ जिला अजमेर।

—प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रुपनगढ जिला अजमेर।
2. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय रुपनगढ, जरिये प्रधानाध्यापक, रुपनगढ, जिला अजमेर।

—— प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक–28.04.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग की भूमि ग्राम रुपनगढ जिला अजमेर (राजस्थान) मे स्थित है। ग्राम रुपनगढ के खसरा नम्बर 2352/2/4 मे से अप्रार्थी संख्या 2 को खसरा नम्बर 3039/2352 रकबा 0.8090 है0 भूमि आवटन करने के पश्चात् खसरा नम्बर 3039/2352 के पश्चिम दिशा की ओर शेष भूमि सरकारी भूमि रहती है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 4128/3841 रकबा 31.7533 है0 जो सरकारी भूमि में स्थित है। उक्त भूमि मे प्रार्थी का हित–अधिकार स्वत्व निहित है। उक्त आराजी मे से राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय रुपनगढ को खेल मैदान हेतु 99 वर्ष की लीज पर दिया गया है जिसके खसरा नम्बर 3039/2352 रकबा 0.8090 है0 है परन्तु राजस्व ट्रेस मे उपरोक्त खसरान की गलत तरमीम कर दी गई है जो पश्चित दिशा की ओर खसरा नम्बर 1213 से लगती हुई तरमीम कर दी गई है जो गलत है जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है। खसरा नम्बर 3039/2352 व खसरा नम्बर 1213 (रोड) के मध्य सरकारी भूमि शेष रहती है जो पूर्व राजस्व ट्रेस में अंकित की गई है परन्तु वर्तमान राजस्व ट्रेस मे अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में संपूर्ण तरमीम रुपनगढ से किशनगढ जाने वाली मुख्य सडक तक कर दी गई है जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी बाबत् प्रार्थी द्वारा माननीय अपर जिला कलक्टर महोदय अजमेर मे राजस्व अपील संख्या 96/2011 व उनवानी जीवण बनाम राज्य सरकारी जरिये तहसीलदार रुपनगढ प्रस्तुत की गई है जिसमें माननीय अपर जिला कलक्टर महोदय अजमेर द्वारा दिनांक–15.01.2013 को उक्त आराजी बाबत् प्रार्थी के पक्ष में नियमन करने के आदेश पारित किये गये थे, अप्रार्थी द्वारा उक्त आदेश की आज दिन तक पालना नही की गई है। प्रार्थी द्वारा दिनांक–10.09.2020 को रुपनगढ के खसरा नम्बर 3039/2352 में खेल मैदान को नक्शे में गलत तरमीम बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो खसरा नम्बर 1213 तक (जो रोड है) वहा तक गलत तरमीम कर दी गई है जिसे सही किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी का दायित्व है कि खातेदारी जमाबंदी एवं मौके अनुसार राजस्व ट्रेस में तरमीम किया जाना आवश्यक है क्योंकि राजस्व रिकार्ड [illegible] प्रार्थी का लगातार कब्जा रहा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण 07.01.2021 को उत्पन्न हुआ [illegible] प्रार्थी को धारा 91 का नोटिस उक्त खसरा नम्बर 3039/2352 पर अतिक्रमण [illegible] प्रेषित किया [illegible] के पश्चात् प्रार्थी द्वारा कई मर्तबा अप्रार्थी के समक्ष गलत तरमीम को सही किये [illegible] गये पर[illegible] द्वारा आज दिन तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.06.30 17:10:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रुपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रुपनगढ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुये। अप्रार्थीगण की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से प्राप्त जवाब अनुसार श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय अजमेर के आदेश कमांक–/कअ/राजस्व/प्र.आ./04–05/125 दिनांक–27.12.2005 के द्वारा राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय रुपनगढ के खेल मैदान हेतु ग्राम रुपनगढ के खसरा नम्बर 2352/2/4 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटित की गई थी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 3039/2352 रकबा 0.8090 है0 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वाद अधीन भूमि के नक्शे की नकल (सेग्रिगेशन/आनलाईन नक्शा) में खसरा नम्बर 3039/2352 व खसरा नम्बर 1213 के मध्य कोई अन्य भूमि अंकित नही है। अतः सेग्रिगेशन आनलाईन नक्शा गलत है, जबकि पूर्व में आवंटन के समय पटवारी हल्का द्वारा तैयार नजरी नक्शे में वाद अधीन खेल मैदान की भूमि (खसरा नम्बर 3039/2352) व रुपनगढ से किशनगढ रोड़ खसरा नम्बर 1213 के मध्य खाली जगह अंकित है। अतः उक्तानुसार (आवंटन के समय तैयार नजरी नक्शा अनुसार) तरमीम शुद्धि किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा दिनांक–10.09.2020 को रुपनगढ के खसरा नम्बर 3039/2352 में खेल मैदान को नक्शे में गलत तरमीम बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसके संबंध में तहसीलदार रुपनगढ के पत्रांक–भू.अ./2021/1659 दिनांक–07.04.2021 से तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमान् के कार्यालय को भिजवायी जा चुकी है। पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका पर्चा दिनांक–01.01.2021 की छायाप्रति व विद्यालय को आवंटन के समय पटवारी हल्का रुपनगढ द्वारा तैयार नजरी नक्शे की छायाप्रतियां संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 2 से प्राप्त जवाब अनुसार श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय अजमेर के आदेश कमांक–/कअ/राजस्व/प्र.आ./04–05/125 दिनांक–27.12.2005 के द्वारा राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय रुपनगढ के खेल मैदान हेतु ग्राम रुपनगढ के खसरा नम्बर 2352/2/4 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटित की गई थी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 3039/2352 रकबा 0.8090 है0 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वाद अधीन भूमि के नक्शे की नकल (आनलाईन) में खसरा नम्बर 3039/2352 व खसरा नम्बर 1213 के मध्य कोई अन्य भूमि अंकित नही है, जबकि पूर्व में आवंटन के समय पटवारी हल्का द्वारा तैयार नजरी नक्शे में वाद अधीन खेल मैदान की भूमि (खसरा नम्बर 3039/2352) व रुपनगढ से किशनगढ रोड़ खसरा नम्बर 1213 के मध्य खाली जगह अंकित है। नियमानुसार तरमीम को शुद्ध किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रुपनगढ को आदेश दिया जाता है कि ग्राम रुपनगढ के खसरा नम्बर 3039/2352 रकबा 0.8090 है0 भूमि के वर्तमान एवं पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके का परीक्षण कर नियमानुसार तरमीम शुद्धि की कार्यवाही की जावे।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर फैसल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.06.30 17:10:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
रुपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रुपनगढ़ (अजमेर)